

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री प्रकाशचन्द्र

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम

विपक्षी : श्री टीलाराम

पत्रावली संख्या : 31/24

जीसीएमएस : 2024/109

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 11.12.2024</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा निवेदन किया मूल वाद आज दिनांक को स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री जारी हो जाने से अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को ड्रॉप फरमाया जावे। अतः प्रार्थीगण कोई कार्यवाही नहीं चाहने तथा मूल वाद स्वीकार हो जाने से इस अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज किया जाता हैं। पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा हटाई जाती हैं।</p> <p>पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(रमेश सीरवी पुनाडिया) सहायक कलक्टर (SDO)मावली</p>	

